कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जिला धमतरी (छ.ग.)

// विज्ञापन //

क्र0 898 /दो-06-01/2013 धमतरी, दिनांक 25 / 09 /2019

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25/10/2019 के कार्यालयीन समय तक।

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन प्राप्त करने वाले फर्राश एवं माली के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

रिक्त पद का विवरण :–

रिक्त पदनाम	कुल पद	आरक्षित पद																वेतनमान
		अजा				अजजा				अपिव				अना				
		मुक्त	महिला	विकांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
फर्राश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	कलेक्टर दर पर
माली	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
कुल	02	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

शैक्षणिक योग्यता :–

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा–5वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें, साथ ही किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हों, तो उक्त संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करें।

भर्ती हेतु अन्य सामान्य शर्तें :–

1– छ0ग0 का निवासी दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। छ0ग0 के बाहर का निवासी दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो।

2– अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम् आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

क. अनुसूचित जनजाति हेतु 05 वर्ष,

ख. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।

3– आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारारित किया जावेगा।

4– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन **दिनांक 29.06.2013** में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

5– अभ्यार्थी आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ एक लिफाफा जिस पर 5 रू. का डाक टिकिट चस्पा हो, अनिवार्य रूप से संलग्नं करें।

6— कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह कि लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लियें पात्र नही होगा।

7— कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

8— आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थ्यता उनकी नियुक्ति के लिये अनर्ह होगी।

9— शासकीय सेवा हेतु निर्योग्यताओं के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये परिप्त्र लागू होगें।

10— अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत न किया गया हो।

11— टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्व—प्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा—जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं प्रमाण—पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित् बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद *"आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन—पत्र" — फर्राश/माली* लिखा हो, कार्यालय—न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ0ग0) के नाम पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित् करें, अन्यथा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12— अभ्यर्थी पृथक—पृथक पद हेतु आवेदन पृथक—पृथक पेश करें।

13— विज्ञापन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक किस पद हेतु आवेदन कर रहा है, उसका आवेदन पत्र में उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना अनिवार्य है।

14— प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा—पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो, चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जावेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

15— चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।

16— नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सम्पन्न की जावेगी तथा आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत अर्ह उम्मीदवारों का 10 अंक का साक्षातत्कार लिया जावेगा। इस समिति को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

17— अधिक मात्रा में प्राप्त आवेदन की स्थिति में सीमित करने हेतु कक्षा 5वीं स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण के अतिरिक्त अन्य योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा।

18— आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय धमतरी की वेबसाईट (https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari) पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्र/अपात्र के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईड में घोषित की जावेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं साक्षात्कार तिथि जिला न्यायालय, धमतरी की वेबसाईट (https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari) पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

19— आवेदनों की छंटाई एवं दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात् अर्ह आवेदकों को प्रवेश पत्र भेजा जावेगा एवं जिला न्यायालय धमतरी की वेबसाईट (https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari) में अपलोड किया जावेगा। आवेदक प्रवेश पत्र जिला न्यायालय की वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

20— अभ्यर्थियों को प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (यथा ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

21— साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की जावेगी, जिसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी।

22— साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जावेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

23— *चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगी तथा उनकी सेवायें आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।*

24— प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वाछिंत सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रृटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रृटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

25— जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जॉच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती हैं।

26— आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

25-9-19

(अध्यक्ष)
चयन समिति,
कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.)

आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (फर्राश/माली) के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित
वर्तमान पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ्स

प्रति,

न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी,
जिला–धमतरी (छ0ग0)

1– आवेदित पद का नाम : ------------------

2– अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) : ------------------

3– पिता/ पति का नाम : ------------------

4– जन्मतिथि (अ) अकों में : ------------------

(ब) शब्दों में : ------------------

5– आयु (01–01–2019 की स्थिति में) : वर्ष ---- माह– -- दिन– ---

6– लिंग (पुरूष/महिला) :: ------------------

7– क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? (हॉ/नही) : ------------------
(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

8– वर्ग (अनुसूचित जनजाति) : ------------------
(क्या अभ्यर्थी छ0ग0शासन द्वारा घोषित् अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, (हॉ/नहीं)
यदि हॉ तो उक्त संबंध में सत्यापित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9– शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करें) : ------------------

क्र0	कक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत्
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				

10– विशेष योग्यता यदि हो, तो :– : ------------------
(प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11– क्या आप विवाहित है ? (हॉ/नहीं) : ------------------

क. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि : ------------------

12– क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है? (हॉ/नही) (यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दे) : ------------------

13– क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया है? हॉ/नही (यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें) : ------------------

14– क्या आवेदक को किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य : सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है? हॉ/नही (यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें) : ------------------

15– पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : ------------------

: ------------------

16– स्थायी पता : ------------------

: ------------------

17– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :–

1. ------------------ 2. ------------------

3. ------------------ 4. ------------------

5. ------------------ 6. ------------------

// घोषणा–पत्र //

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढ़ा है। इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/अपूर्ण पाई जाती है, या यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जावेंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....
(नाम एवं पूरापता) ....
....
मोबाईल नं. ....

स्थान ....
दिनॉक ....